प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 67/ 2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवायें, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं' पर पूरक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 3 अगस्त 2023 - 'विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवायें , जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं' पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने **आज एक पूरक परामर्श पत्र जारी किया है।**

2. दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) ने अपने पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2022 के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि वीएचएफ डेटा लिंक सेवाओं में उड़ानों की सुरक्षा हेतु विमान की ट्रैकिंग के लिए डेटा शामिल है। संचार मंत्रालय ने मैसर्स सोसाइटी इंटरनेशनेल डे टेलीकम्युनिकेशन एरोनॉटिक (एसआईटीए) और मैसर्स बर्ड कंसल्टेंसी सर्विसिज (बीसीएस) को विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच वीएचएफ डेटा संचार लिंक संचालित करने के लिए फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट किया है। यह देखते हुए कि एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन्स एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग (ACAR) सेवा प्रदान करने के लिए वीएचएफ डेटा लिंक सेवायें एयरक्राफ्ट को, वास्तविक समय के आधार पर, ट्रैक करने और विमानन आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जांच/ खोज और बचाव अभियान में मदद करने में फायदेमंद हो सकती हैं। इन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए डीओटी ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) के खंड 11(1)(क) की शर्तों के तहत भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि निम्नलिखित पर सिफ़ारिशें प्रदान करें:

- इन संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त क्रियाविधि;
- 2012 में 2-जी मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में - केवल नीलामी के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन हेतु - इन संगठनों को फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट किये जाने का तरीका ।

3. दूरसंचार विभाग (डीओटी) के संदर्भ दिनांक 12.04.2022 के संबध में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाओं के लिए उपयुक्त विनियामक व्यवस्था हेतु, प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दिनांक 10.12.2022 को 'विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवायें, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। दिनांक 10.12.2022 के परामर्श पत्र के जवाब में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 10.03.2023 को आयोजित की गई थी।

4. दिनांक 10.12.2022 के परामर्श पत्र पर हितधारकों की राय की जांच करते समय, यह देखा गया कि विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा लाइसेंस,

स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए कार्यप्रणाली और स्पेक्ट्रम चार्जिंग तंत्र से संबंधित कुछ पहलुओं पर विशिष्ट इनपुट प्राप्त नहीं हुए हैं, जो मामले के व्यापक विश्लेषण और सिफारिशें तैयार करने के लिए आवश्यक होगी। तदनुसार, प्राधिकरण ने ऐसे पहलुओं पर हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए यह पूरक परामर्श पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

5. इस संबंध में, हितधारकों से उनकी अतिरिक्त राय लेने के लिए 'विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवायें, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं' पर एक पूरक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है। पूरक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 17.08.2023 तक लिखित टिप्पणियाँ और 24.08.2023 तक प्रति टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

6. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

हा/-

(वी. रघुनंदन)

(सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण)